सत्यमेव जयते

संख्या– 3120/जी0एस0(शिक्षा)/A4-2-1(P-II)/2021

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : **देहरादून : दिनांक : 24 फरवरी, 2021**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या–1214 एवं 1216, दिनांक 22.06.2019 तथा पत्र संख्या–882, दिनांक 15.10.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– यू0जी0सी0 विनियम के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने संबंधी निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्थान, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सिं०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा–24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :–

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून	बी०फार्मा०	60	2019–20
	एम०फार्मा०:– 1. फार्मास्यूटिकल कैमेस्ट्री 2. फार्माकोलॉजी	 18 18	

(1) यू०जी०सी०, नियामक संस्था व विश्वविद्यालय के मानकानुसार सभी मानक पूर्ण होने की दशा में कार्यपरिषद की संस्तुति से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 26.04.2019 के अन्तर्गत सत्र 2018–19 की अस्थाई सम्बद्धता का निर्णय लेकर यथाशीघ्र आदेश निर्गत करे।

(2) यू०जी०सी०, नियामक संस्था व विश्वविद्यालय के मानकानुसार सभी मानक पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद की संस्तुति से सत्र 2019–20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करें व कृत कार्रवाई से इस सचिवालय को अवगत कराये।

3– अतएव अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या–3120(1)/जी0एस0(शिक्षा)/A4-2-19(P-II)/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।